संख्याः-1596/एक-10-2024

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

पी0ए0सी0 मुख्यालय,

उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 8 अक्टूबर, 2024

विषयः प्रदेश के 75 जनपदों के 811 घाटो पर संचालित 4175 पंजीकृत नौकाओं हेतु एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उक्त 66077 लाइफ जैकेट पी0ए0सी0 के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-पी0ए0सी0-तीन-811/2024(ला0जै0), दिनांक 14.09.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से प्रदेश के 75 जनपदों के 811 घाटो पर संचालित 4175 पंजीकृत नौकाओं हेतु एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप 66077 लाइफ जैकेट क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 13,21,54,000/- (रूपया तेरह करोड इक्कीस लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करने एवं इस धनराशि को पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 (अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी उ0प्र0) के डी0डी0ओ0 कोड संख्या:2495 (कोषागार-जवाहर भवन, लखनऊ) पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध अग्रिम कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05-07-2024 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से प्रदेश के 75 जनपदों के 811 घाटो पर संचालित 4175 पंजीकृत नौकाओं हेतु एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप 66077 लाइफ जैकेट क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 13,21,54,000/- (रूपया तेरह करोड़ इक्कीस लाख चौवन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी० द्वारा उक्त 66077 लाइफ जैकेट क्रय करने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के 811 घाटो पर संचालित 4175 पंजीकृत नौकाओं के नाविकों को वितरित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वितीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(4) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(5) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी० मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ का होगा।

(6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 13,21,54,000/- (रूपया तेरह करोड़ इक्कीस लाख चौवन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by
Shailendra Mani Tripathi
Date: 07-10-2024 12:16:18

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या:-1596(1)/एक-10-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।

2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ
4- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
8- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-09/10/2024

प्रेषण संख्या:- 1596
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1596
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2495-डी0 आई0 जी0 -पीएसी मुख्या0-सेक्टर -जोन कार्या0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	132154000 132154000	132154000 132154000
	योग	वर्तमान प्रगामी	132154000 132154000	132154000 132154000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ इक्कीस लाख चौवन हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ इक्कीस लाख चौवन हजार

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।